का0आ0सं0ः-भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-123/2012...../ दिनांकः-

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

भवन निर्माण विभाग में दिनांक-08.05.2019 को आयोजित Standard Bidding Document से संबंधित बैठक में कतिपय निर्णय लिये गये है, जिन्हे विभागीय ज्ञापांक-5195 दिनांक-11.06.2019 द्वारा सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को परिचारित किया गया है। साथ ही इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड कर दिया गया हैं।

दिनांक-08.05.2019 को आयोजित Standard Bidding Document से संबंधित बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः-

भवन निर्माण विभाग में वर्त्तमान में लागू Standard Bidding Document के आधार पर 2 करोड़ से उपर की योजनाओं की निविदा की जाती है तथा निविदा का मूल्याकंन Standard Bidding Document में निहित प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। प्रचलित Standard Bidding Document वर्ष 2006 से प्रभावी है। विगत पिछले कई वर्षो से भवन निर्माण विभाग कई बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं का आकार 2 करोड़ से लेकर लगभग 700 करोड़ तक का है। परन्तु लागू SBD में कतिपय कंडिकाओं में स्पष्टता के अभाव में कई बार निविदा के निष्पादन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही अलग-अलग स्तरों पर उक्त कंडिकाओं की अलग-अलग व्याख्या किये जाने के फलस्वरूप निविदा निष्पादन के निर्णय में एकरूपता का अभाव रहता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्त्तमान SBD में निहित निम्नलिखित प्रावधानों पर विस्तृत विमर्श किया गया। विमर्शोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गयेः-

1. SBD Section-2 Caluse 4.2 (i) of ITB के अनुसार "Evidence of access to or availability of credit facilities (minimum 10% of estimated cost certified by the bankers" के लिए Section-2 Page-32 में चिहिन्त Format में बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जो कि निविदा तिथि के बाद का निर्गत एवं संबंधित कार्य के लिए हो, को मान्य होगा। पुनर्निविदा की स्थिति में उक्त कार्य के लिए प्रथम/मूल निविदा की तिथि के बाद का निर्गत प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।
2. SBD Section-2 Caluse 4.3(j) एवं Section-2 of ITB के अनुसार मांगी गयी Affidavit निविदा के तिथि के बाद का ही अनुमान्य होगा। पुनर्निविदा की स्थिति में उक्त कार्य के लिए प्रथम/मूल निविदा की तिथि के बाद का निर्गत Affidavit भी मान्य होगा।
3. SBD Section-2 Caluse 4.5(B)a के अनुरूप निविदादाताओं के द्वारा 1.5 एवं 1.6 के प्रपत्र में Contract Equipment & Key Personnel से संबंधित आवश्यक जानकारी देना अनिवार्य है। विहित Format में दी गयी जानकारी निविदा की तिथि के बाद का स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए। इसके लिए किसी Affidavit देने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु ITB के Caluse 4.3(d) के अनुसार अगर कोई Equipment hire/lease/buying किया जाता है तो इसके Evidence से संबंधित कागजात Tender document के साथ लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही Key Personnel की सहमति एवं qualification से संबंधित certificate/CV जो कि निविदा की तिथि के बाद का हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। पुनर्निविदा की स्थिति में उक्त कार्य के लिए प्रथम/मूल निविदा की तिथि के बाद का निर्गत अभिलेख भी मान्य होगा।
4. Existing Commitments and on going work के संबंध में निविदादाताओं को सेक्शन-2 Clause-1.4 में दिये गये प्रपत्र में जानकारी देना आवश्यक होगा परन्तु यह

जानकारी अगर संवेदक द्वारा निविदा की तिथि के बाद स्वभिप्रमाणित कर अपलोड किया जाता है तो यह मान्य होगा। इसके लिए संबंधित प्रमंडलों से प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

दिनांक-08.05.2019 को आयोजित Standard Bidding Document से संबंधित बैठक में लिये गये उक्त निर्णयों पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(योगेन्द्र सिंह)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- भवन-12/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-123/2012 7292(भ)/ पटना, दिनांकः- 8.8.19

प्रतिलिपिः-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।